न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 140/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सुबेसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांट

बनाम

1 गुमान बेवाह सवाई सिंह जाति राजपूत
2 प्रदीप पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत
3 कुलदीप पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत
4 सुनीता कंवर पुत्री सवाई सिंह जाति राजपूत
5 कुशमलता पुत्री सवाई सिंह जाति राजपूत
6 सुमन पुत्री सवाई सिंह जाति राजपूत
7 लक्ष्मण सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (फौत)

7/1. श्रीमती सायर देवी बेवाह लक्ष्मणसिंह

7/2 कमलसिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मणसिंह

7/3 जीवराजसिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मणसिंह

7/4 संतोष पुत्री स्व0 लक्ष्मणसिंह

7/5 सुमन पुत्री स्व0 लक्ष्मणसिंह जाति समस्त राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

भू–प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8. उप पंजीयक मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

------ असल रेस्पो0

9. हनुमान सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत

10 फतेहसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत

11 विनोद सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत

12 उदयसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत

13 योगेश सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति राजपूत

14 मोती सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत

15 उर्मिला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत

16 सरला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत

17 निर्मला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत

18 रूक्मणी पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम मिजापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना दिनाक 17 9 19

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री विनोद कुमार यादव

3. वकील रेस्पो0 सं0 8 :- श्री अमर चन्द चौधरी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(राजकीय अभिभाषक)

निर्णय

दिनांक

२२.03.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना द्वारा राजस्व वाद संख्या 188/19 बाबत इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुकमइम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 17.9.19 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरानम्बर 91 मिन रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 144/2-2, 145/2-2, 146/2-7, 147/3-2, 148/3-10, 201/4-1, 302/2-00, 303/1-2, 371/0-2, 372/0-3, 373/1-00, 374/2-17, 377/1-15, 292/2-5, 304/3-5, 292/788/0-11, 318/1-15 किता 12 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर मृतक इन्दरसिंह की खातेदारी की थीं । इन्दरसिंह की 3 संतानें थी, जो इन्दरसिंह की विवाहिता पत्नी से पैदा हुई थी । इन्दरसिंह ने अपनी पूर्व पत्नी के देहान्त के बाद मु0 अंछना से पुनर्विवाह कर लिया था। अंछना के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी । इन्दरसिंह का पुत्र शिम्भू सिंह बिना संतान के फौत हो गया । उसकी पत्नी रिसालबाई भी बिना संतान के फौत हो गई । रघुवीरसिंह के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 है । विवादित भूमि दादालाई की पैत्रिक है । जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 भाग तथा तरतीबी प्रतिवादी पृथ्वीसिंह का 1/2 भाग है । इन्दरसिंह की मृत्यु के बाद उसकी दूसरी पत्नी मु0 अंछना ने विरासत का इंतकाल तन्हा अपने नाम करा लिया तथा उक्त गलत इन्द्राज की आड में आराजी खसरा नम्बर 144, 145, 146, 147, 148 की एक वसीयत बहक प्रतिवादी नम्बर 01 सवाईसिंह को दिनांक 11.2.82 को कर दी तथा रिसाई बाई बेवाह शिम्भूसिंह ने दीगर आराजी की एक वसीयत बहक प्रतिवादी नम्बर 02 लक्ष्मणसिंह को दिनांक 22.8.83 को कर दी । जबकि उक्त दादालाई की भूमि की वसीयत अंछना व रिसाई बाई को करने का कोई अधिकार नहीं था । विवादित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का निस्फ भाग तथा तरतीबी प्रतिवादी का निस्फ भाग खातेदारी का है, जो मृतक इन्दरसिंह से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव.

विरासत में मिला है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र खारिज किया है,जिसकी यह अपील वादीगण ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत ने तनकियो का सही ढंग से विवेचन नहीं किया है । तनकी नम्बर 3 पक्षकार नहीं बनाये जाने बाबत थी । कानूनन पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता । तनकी नम्बर 05 का विवेचन भी सही प्रकार से नहीं किया है । कानूनन इस्तकरारहक के दावे की कोई मियाद नहीं होती है । तनकी नम्बर 06 क्षेत्राधिकार की बाबत थी। तहत अदालत ने वसीयत का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को माना है । अगर मामला सिविल न्यायालय का था तो सक्षम न्यायालय में वाद पत्र को स्थानांतरित किया जा सकता है, वाद पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता । हमने वसीयतों को बातिल व बेअसर करार दिलाने का अनुतोष चाहा था,जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । तनकी नम्बर 01 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कराई गई वसीयतों को सही मानने में भूल की है । दादालाई की भूमि की वसीयत अंछना व रिसालबाई द्वारा किया जाना विधिसम्मत नहीं है । वसीयत को साबित भी नहीं कराया है । विवादित आराजी की बाबत इंतकाल नम्बर310 प्रतिवादी सवाईसिंह के नाम अंछना द्वारा कराई गई थी, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत ने इंतकाल खोल दिया। इसकी अपील उपखंड अधिकारी के यहां की गई थी, जो दिनांक 20.4.18 को स्वीकार कर ली गई थी तथा इंतकाल नम्बर 310 को निरस्त कर दिया गया था तथा इंतकाल नम्बर 1016 पक्षकारान के नाम हिस्से अनुसार स्वीकार कर लिया गया था । उक्त दोनों इंतकाल तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया । 2003 सी0 डी0 आर0 165 (एस0सी0) में प्रतिपादित किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 68 व 71 के अनुसार वसीयत को दो या दो से अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिये । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील ने अपनी बहस के समर्थन में हिन्दू लॉ की धारा 13, 2015 डी0 एन0 जे0 (एस0 सी0) पेज 1126, 2018–19 (सप्लीमैंटरी) आर0 आर0 टी0 पेज 553 का हवाला दिया ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि वादीगण अपीलांटस ने सजरा अपूर्ण प्रस्तुत किया है । इन्होंने इन्दरसिंह की पुत्रियों व पौत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है । सजरा में इन्दरसिंह की दोनों पत्नियों को नहीं दर्ज नहीं किया गया है । रिसाल बाई ने दिनांक 22.8.85 को प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह के पक्ष में वसीयत की थी । मु0 अंछना ने दिनांक 11.2.82 को सवाईसिंह के पक्ष में वसीयत की थी । उक्त दोनों वसीयतों को साबित कराया गया है । हमारे पक्ष में उक्त वसीयतों के आधार पर सही प्रकार से इंतकाल दर्ज हुआ है । अगर इनको हमारी वसीयत से कोई आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में चैलेंज करें । इनको हमारी वसीयतों एवं इंतकाल के बारे में पूर्व से ही बखूबी जानकारी थी, फिर भी वाद पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया है । तहत अदालत ने तनकीवार निर्णय विधिक रूप से पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रकरण में मुख्य विवाद वसीयतों को लेकर है । हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दोनों वसीयतों एवं समर्पण पत्र का अवलोकन किया। पंजीकृत तमलीकनामा (समर्पण पत्र) दिनांक 19.1.59, जो कि इन्दरसिंह द्वारा मु0 अछना के पक्ष में निष्पादित कराया गया था, में इन्दरसिंह ने अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा का मैं मालिक हूं । उक्त आराजी मु0 अछना परदायत इन्दरसिंह राजपूत को गूजर बसर करने हेतु तमलीक के रूप में देता हूं । मु0 अछना की मृत्यु के बाद उक्त आराजी मेरी अथवा मेरे वारिसान की होगी । मु0 अछना के मरने के बाद उसके भाईबन्धु वगैहरा का कोई हक न होगा, न मु0 अछना उक्त आराजी को मुन्ततिकल कर सकेगी । पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 12.2.82 द्वारा मु0 अछना ने विवादित भूमि की वसीयत सवाई सिंह पुत्र रघुवीरसिंह के पक्ष में की है । वसीयत दिनांक 22.8.85 मु0 रिसालबाई ने लक्ष्मणसिंह के पक्ष में निष्पादित की है, जिस पर स्वयं लाभार्थी लक्ष्मणसिंह के गवाह के तौर पर हस्ताक्षर है । इस वसीयत को तहत अदालत द्वारा गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित कराना चाहिये था, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नजीर 2003 सी0 डी0 आर0 (एस0सी0) पेज 165 में उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 68 व 71 की व्याख्या करते हुये अभिनिर्धारित किया गया है कि वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिये । इस वसीयत पर स्वयं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

लाभार्थी लक्ष्मणसिंह के गवाह के रूप में हस्ताक्षर होने से इसकी कोई कानूनी महत्ता नहीं है ।

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि विवादित भूमि इन्दरसिंह ने अपनी पत्नि मु0 अछना को गुजर बसर करने हेतु दी थी । उसे आराजी को किसी भी माध्यम से स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं दिया था । उक्त समर्पण पत्र में इन्दरसिंह ने यह भीअभिवचन दिया था कि मु0 अछना के मरने के बाद उसके भाई बंधु वगैहरा का कोईअधिकार नहीं होगा, उसके मरने के बाद उक्त आराजी इन्दरसिंह की अथवा उसके वारिसों की होगी । परन्तु फिर भी उसने गलत तौर पर आराजी की वसीयत दिनांक 12.2.82 को सवाईसिंह के पक्ष में कर दी । मु0 अछना का यह कृत्य विधिसम्मत नहीं है । इसके अतिरिक्त मु0 रिसालबाई द्वारा लक्ष्मणसिंह के पक्ष में कराई गई वसीयत दिनांक 22.8.85 की कोई कानूनी महत्ता नहीं है, क्योंकि इस पर गवाह के तौर पर लाभार्थी स्वयं लक्ष्मणसिंह के हस्ताक्षर है तथा इस वसीयत को गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित नहीं कराया गया है । विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है । पैत्रिक सम्पत्ति में सभी वारिसों का समान हिस्सा है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादीगण का निस्फ निस्फ हिस्सा है । तहत अदालत का यह विवेचन कानूनसम्मत नहीं है कि वसीयत के प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि अगर मुख्य अनुतोष दुरूस्ती का है तथा अनुषांगिक अनुतोष बयनामा/वसीयत को बातिल व बेअसर कराने दिलाने का है तो अनुषांगिक अनुतोष के रूप में बातिल व बेअसर करार देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को हीं है । विद्वान तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय में जो तनकीवार विवेचना की गई है, वो उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में विधिसम्मत नहीं है । लिहाजा उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तथा विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरों 2006 ए0 आई0 आर0 कर्नाटक पेज 48, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 68, ए0 आई0 आर0 2013 हिमाचल प्रदेश पेज 04, 2015 ए0 आई0 आर0 सुप्रीम कोर्ट पेज 2382, आर0 आर0 टी0 2018–19 (सप्लीमेंटरी) पेज 553, 1995 आर0 आर0 डी0 पेज 377, 2015 डी0 एन0 जे0 (एस0सी0) पेज 1126, हिन्दू लॉ की धारा 18 के परिप्रेक्ष्य में अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलाटस स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.9.2019 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीगण अपीलांटस का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 144, 145, 146, 147, 292, 292/788, 302, 303, 304, 318, 371, 372, 373, 374, 377, 201 कुल किता 17 कुल रकबा 8.0800 हेक्टेयर खाता संख्या 226, 249 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर में से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को निस्फ भाग का तथा तरतीबी प्रतिवादीगण को निस्फ भाग का खातेदार घोषित किया जाता है । वसीयत दिनांक 11.2.82 तथा 22.8.83 को बातिल व बेअसर करार दिया जाता है । उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर इन्द्राज किया जावे ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 140/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सुबेसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांट

बनाम

1 गुमान बेवाह सवाई सिंह जाति राजपूत
2 प्रदीप पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत
3 कुलदीप पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत
4 सुनीता कंवर पुत्री सवाई सिंह जाति राजपूत
5 कुशमलता पुत्री सवाई सिंह जाति राजपूत
6 सुमन पुत्री सवाई सिंह जाति राजपूत
7 लक्ष्मण सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (फौत)

7/1. श्रीमती सायर देवी बेवाह लक्ष्मणसिंह

7/2 कमलसिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मणसिंह

7/3 जीवराजसिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मणसिंह

7/4 संतोष पुत्री स्व0 लक्ष्मणसिंह

7/5 सुमन पुत्री स्व0 लक्ष्मणसिंह जाति समस्त राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8. उप पंजीयक मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

:------ असल रेस्पो0

9. हनुमान सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत

10 फतेहसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत

11 विनोद सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत

12 उदयसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत

13 योगेश सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति राजपूत

14 मोती सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत

15 उर्मिला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत

16 सरला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत

17 निर्मला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत

18 रूक्मणी पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना दिनांक 17.9.19

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री विनोद कुमार यादव

3. वकील रेस्पो0 सं0 8 :- श्री अमर चन्द चौधरी

(राजकीय अभिभाषक)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पर्चा डिक्री

दिनांक

22.03.2021

अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.9.2019 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीगण अपीलांटस का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 144, 145, 146, 147, 292, 292/788, 302, 303, 304, 318, 371, 372, 373, 374, 377, 201 कुल किता 17 कुल रकबा 8.0800 हेक्टेयर खाता संख्या 226, 249 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर में से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को निस्फ भाग का तथा तरतीबी प्रतिवादीगण को निस्फ भाग का खातेदार घोषित किया जाता है । वसीयत दिनांक 11.2.82 तथा 22.8.83 को बातिल व बेअसर करार दिया जाता है । उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर इन्द्राज किया जावे ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर